समाचार–प्रकाशनार्थ :–

निगम भवन पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया करेंगे ध्वजारोहण

रतलाम 25 जनवरी । 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर निगम भवन पर आज प्रातः 7.30 बजे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ध्वजारोहण करेंगे। निगम भवन पर प्रातः 7.30 पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम मे निगम अधिकारी, कर्मचारी आदि मौजूद रहेंगे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 15.53 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 25 जनवरी । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करो के तहत 25 जनवरी मंगलवार को कुल राशि रूपये 15,53,697/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 25 जनवरी मंगलवार को संपत्तिकर शिविर से 126000, कार्यालय 257160, वसूली दल 423789 कुल 806949, जलकर शिविर 34760, कार्यालय 342940, वसूली दल 95510 कुल 470210, लायसेंस फीस 1505, विकास शाखा लीजरेंट 85454, कम्पाउडिंग 82887, गंदगी करने पर स्पॉट फाईन 9300, बगैर मास्क वालो पर स्पॉट फाईन 2300 इस तरह कुल राशि रूपये 15,53,697/– का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

योगमय यज्ञमय भक्तिमय जीवन आनंद की अनुभूति लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं

रतलाम 25 जनवरी । जन–जन हर भारतीय नागरिक राष्ट्र वंदना से ओत–प्रोत देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध हरा–भरा हों रतलाम हमारा नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया व उपायुक्त श्री विकास सोलंकी के मार्गदर्शन में 25 जनवरी मंगलवार को प्रातः 08:15 बजे गुलाब चक्कर पुराने कलेक्टोरेट परिसर रतलाम क्रीड़ा भारती जिला अध्यक्ष गोपाल मुजावदिया म.प्र.जन अभियान परिषद् जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय योग गुरु बंशीलाल मजावदिया प्रकाश चन्द्र बिलाला के आतिथ्य में पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी रतलाम म.प्र.पश्चिम विशाल कुमार वर्मा जिला यज्ञ प्रभारी पं संजय शिवशंकर दवे द्वारा योगमय यज्ञमय रतलाम की और प्रयत्नशील रहकर भक्तिमय अष्टांग योग सूर्य नमस्कार कर महायज्ञ में आहूति देकर वातावरण शुद्धिकरण कर प्रकृति पर्यावरण संरक्षण संवर्धन संकल्प दिलाया

बांसुरी वादक नितिन सिंह सुरम्य मुरली बजाकर मंत्रमुग्ध कर भावेश परिहार ने भक्ति गीत–संगीत के साथ सोशल मीडिया प्रभारी नितेंद्र आचार्य ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पो. सिंह ने नगर वासियों को योग से निरोग स्वास्थ्य से समृद्धि की और सभी एक क़दम बढ़ाए तभी हम स्वच्छ स्वस्थ हरा–भरा रतलाम नंबर एक बना पाएंगे

सूर्य नमस्कार महायज्ञ कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन से ईश्वरी शर्मा युनुस कुरैशी युवा टीम मौजूद रहे ईशा नैमानी ने रंगोली बनाकर स्वच्छता का संदेश लिए जन जागृति अभियान से जोड़ने का प्रयास किया आभार व्यक्त नवीन नैमानी ने माना

26 जनवरी गंणतंत्र दिवस पर पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 25 जनवरी । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

गंदगी करने पर 4 दुकानें 24 घन्टे के लिये सील

नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगायें

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 25 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 25 जनवरी को 4 दुकानदारों द्वारा गंदगी करने पर 24 घन्टे लिये दुकानें सील कर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर राजभोग रेस्टोरेंट कस्तुरबा नगर, अपना होटल अलकापुरी, मौर्य होटल, शर्मा होटल पावर हाउस रोड मण्डी गेट के पास को 24 घन्टे के लिए सील किया गया। इसके अलावा बबीता त्रिवेणी रोड, किशोर त्रिपोलिया गेट पर 500–500, जय बजरंग धानमण्डी पर 250 व लालचन्द पर 200 रूपये का जुर्माना किया गया।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930, झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931, श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932, श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145, श्री विराट मेहरा 9770326691, स्पॉट फाईन दल के पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

अवैध नल विच्छेद व बकाया वसूली की कार्यवाही निरंतर जारी

सुदामा परिसर से 6 अवैध कनेक्शन विच्छेद

95 हजार की राशि बकाया के रूप में वसूली

रतलाम 25 जनवरी । अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध नल विच्छेदन की कार्यवाही के तहत सुदामा परिसर से 6 अवैध नल कनेक्शन विच्छेद किये गये साथ ही विभिन्न वार्डो में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 95,510/— की राशि वसूली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए अवैध नल विच्छेदन की कार्यवाही के तहत सुदामा परिसर से 6 अवैध नल कनक्शन विच्छेद किये गये इसके अलावा बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 20,750/—, वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 14,120/—, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 46,200/— व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 14,440/— इस तरह कुल राशि रूपये 95,510/— की बकाया राशि वसूली।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैय्यालाल चौधरी, केमिस्ट श्री नीरज यादव व श्री जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

रामगढ़ में गुरूवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूलीं शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 54.27 लाख व जलकर 11.58 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 25 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूलीं शिविर आयोजित किये गये है जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/— व जलकर 54,850/—, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/— व जलकर 34,520/—, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/— व जलकर 63,450/—, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/— व जलकर 1,19,720/—, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/— व जलकर 62,950/—, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/— व जलकर 28,870/—, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/— व जलकर 14,000/—, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/— व जलकर 1,04,640/—, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/— व जलकर 1,21,090/—, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/— व जलकर 47,000/—, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/— व जलकर 83,700/—, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/— व जलकर 27,540/—, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/— व जलकर 40,240/—, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/— व जलकर 31,760/—, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/— व जलकर 72,440/—, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/— व जलकर 37,465/—, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/— व जलकर 36,660/—, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/— व जलकर 92,125/—, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/— व जलकर 64,770/— की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22, 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखल, वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़, वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28, 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डी, वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिज, वार्ड क्रमांक 28, 29, 36, 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनी, वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पास, वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगर, वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन
2 से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 25 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं उन्हे अब अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्‌टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान को जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्‌टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8534 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन
पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 25 जनवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 25 जनवरी मंगलवार तक 8534 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 85.34 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

25 जनवरी को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 25 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 25 जनवरी मंगलवार को 83 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

25 जनवरी मंगलवार को डम्पर से 27700, ट्रेक्टर से 17430, काम्पेक्टर सूखा कचरा 18225 व काम्पेक्टर गीला कचरा 19860 इस तरह कुल 83215 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

2751 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 104 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पस्तुत करें

रतलाम 25 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2560 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेत 191 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 101 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 25 जनवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही को जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 25 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारो पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जान की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 25 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 25.01.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.